Proposal for Improving Access to Government facilities through improved Centralized Inventory Management System in the State

राज्य सरकार गरीब, असहाय, वंचित एँव, वे लोग जो किसी भी कारण से स्वास्थ्य सेवाओ का उपयोग नही ले पा रहे है, के लिए गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओ की सुगमता बढाने के लिए प्रतिबद्व है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अपने कई कार्यक्रमो के साथ, एक प्रमुख कदम राज्य के चिकित्सा संस्थानो मे दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन की स्थापना के बाद हो रही है।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जॉच योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,एनीमिया नियंत्रण जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम से प्रतिदिन लाभार्थियों की संख्या मे भारी इजाफा हो रहा है, और साथ मे ही सरकार द्वारा खोले गये 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य कैन्द्र, एँव 185 सामुदायिक स्वास्थ्य कैन्द्र मे इस समस्याओ मे और वृद्वि हुई है तथा राज्य से संस्थानो के पर्यवेक्षण के लिये गये अधिकारियों ने अपने दौरे की रिर्पोट मे संस्थानो मे उपकरणो की कमी, बेकार पडे उपकरणो, अनुपयुक्त उपकरणो एँव फर्निचरों की भारी समस्या से अवगत कराया है। कई जगहो पर जहॉ रोगी भार अत्याधिक है वहॉ इलाज के लिए उपकरण नही है। और जॅहा रोगी भार नही है वहॉ पर अनप्रयुक्त उपकरण/फर्निचर स्टोर मे बंद पडे है। लगभग यही हाल दवाओ का चिकित्सालय पर है। इन्ही सभी समस्याओ से निपटने के लिये राज्य स्तर पर एक केन्द्रीयकृत इन्वेन्ट्री मेनेजमेन्ट एँव मॉनिटॉरिग तंत्र को विकसित किया जाना है **जिसके लिये हॉल मे ही दिनॉक 27/12/2013 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने निर्देश प्रदान किया है**

इस सैल के गठन के निम्न उद्वेश्य रहेंगे।

1. मेडिकल उपकरण/फर्नीचर का अनुकूलतम (optium) उपयोग के लिए मॉनिटॉरिग.
2. उपकरण/फर्नीचर की आवश्यकतानुसार जिले एँव जिले के बाहर स्थानतरित करवाना.
3. इन्वेन्ट्री मेनेजमेन्ट के उपकरण/फर्नीचर की स्थिति (ठीक है/नकारा है/खराब है) पर नजर रखने के लिये एप्लीकेशनस व योजना विकसित करवाना.

4. संस्थानो मे सुचारू संचालन के लिऐ उनकी नई जरूरतो का पता करना, और इस कार्य को सुविधाजनक बनाना.
5. बॉयोमेडिकल इंर्जिनियर्स दल के साथ समन्यवय स्थापित कर उपकरणो की जरूरत एँव रखरखाव को सुनिश्चित करना.
6. BMEM / e- ausdhi सॉफ्टवेयर मे संस्थानो की जरूरत के अनुसार एप्लीकेशन विकसित करवाना.
7. सप्लाई चैन पर लगातार नजर रखना, संस्थानो मे हमेशा दवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना.
8. इन्वेन्ट्रीज डाटा को हमेशा विश्लेषण करते रहना ताकि औषधी/उपकरण इत्यादि का स्टॉक उपयुक्त स्तर (मेंन्टेन) पर बना रहे, इनका उपयोग/दुरूपयोग रूके तथा रोगियो के लिये अधिकतम उपयोग हो सके.
9. सप्लाई चैन योजनाओ से सलाह लेकर ऐसा सप्लाई चेन विकसित करना जिससे की दवा व उपकरणो की निर्बाहा आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.
10. सप्लाई चैन को डिजाइन व लागू कर निर्बाध रूप से आपूर्ति के लिये सप्लाई चेन डिजाइन कर उसे लागू करवाना.
11. लगातार परीक्षण कर आपूर्ति श्रृखला के लिये नई प्रकियाओ को लागू करवाना.
12. सप्लाई चैन पर होने वाले प्रभावो का पूर्वानुमान कर, उसके लिये उपयुक्त कदम उठाना.
13. आपूर्तिकर्ताओ की दक्षता का आंकलन करना, उन्हे उसकी आपूर्ति के लिये फीडबैक देना, तथा आपूर्ति मे होने वाले बदलावो को जानना एँव उचित निर्देश प्रदान करना.
14. स्वास्थ्य विभाग के समस्त अनुभागो से समन्वय कर आपूर्ति को उनके आवश्यकता बनाये रखना तथा इन्वेन्ट्री के समबन्ध मे बताई गई समस्याओ का निदान करना.
15. राज्य स्तर पर मेडिकल उपकरणो की मरम्मत, रखरखाव की केन्द्रीयकृत व्यवस्था करना उसका समन्वय करना.
16. राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानो मे औषधी भण्डार गृह दवा वितरण केन्द्र, मु. चि. एँव स्वास्थ्य अधिकारी स्टोर का पर्येवेक्षणीय दौरा कर उनकी स्थिति एँव कार्यो का मूल्यांकन करना तथा कुशल इन्वेन्ट्री प्रबंधन के लिये सुझाव देना.

उपरोक्त कार्यो के सम्पादन के लिये राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) के अर्न्तगत गठित करने के लिये नीचे वर्णित याजनाओ के साथ निम्न मानव संसाघन की आवश्यकता होगी। उप निदेशक (इन्वेन्ट्री & सप्लाई चेन मैनेजमेंट) -1 , नर्स - 2 ,फार्मसिस्ट -1,सूचना सहायक – 2, अपर डिविजन क्लर्क - 1

Outcome:-

1. सभी संस्थानों मे सुधरी हुई स्वास्थ्य सेवाओ का मिलना.
2. सभी संस्थानों का मेडिकल उपकरणों एँव फर्निचर की न्यायपूर्ण स्थिति.
3. सभी संस्थानों मे आवश्यकता के अनुसार ही उपकरणों की उपलब्धता होगी इससे अधिक्य एँव कमी की दोनो स्थितियों से निजात मिलेगा.
4. केन्द्रीय स्तर पर दीये जाने वाल क्रयोदेशो मे एक जैसे (Repetition of purchase order) एक ही संस्थान पर उपकरणों की दोहराव की स्थिति कम होगी.
5. मेडिकल उपकरणों के ब्रेक डाउन रोकने के लिये एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था कायम होगी.
6. शिकायतों के निवारण हेतु राज्य स्तर पर कम्प्लेन्ट रिर्डसल मेकनिज़म स्थापित हो जायगा.
7. सभी उपकरणो/इन्स्ट्रमन्ट/फर्निचर/लेन्ड/विल्डिंग इत्यादी की मॉनिटरिंग के लिये एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था स्थापित हो जायेगी.
8. एक तार्किक एँव वार्षिक भोग (annual consumption) का निर्धारण कर सकेगे, जिससे सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों व संस्थानों का उचित प्रंबधन के साथ मे पूर्व मे योजना बनाकर कार्य किया जा सकेगा.
9. स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन मे आधुनिकता एँव नवचारो का समन्वय कर तंत्र का सामयिक रख पायेंगे.